संख्या-25/2015/क0नि0-4-1507/11-2015-2(15)/90

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2015

विषय:- वाणिज्य कर कार्यालय बदायूँ के भवन का किराया नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/भ0प0-बरेली-258/2014-15/321/ वाणिज्य कर, दिनांक-29 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ के वाणिज्य कर कार्यालय हेतु श्रीमती कमला देवी के भवन में उपलब्ध 282.2 वर्ग मीटर (3034 वर्ग फुट) कारपेट एरिया को दिनांक-16 जून, 2014 से आगामी 05 वर्षों अथवा भवन रिक्त किये जाने तक जो भी पहले हो, की अवधि हेतु रू0-37,000.00 (रूपये सैंतीस हजार मात्र) प्रति माह की दर से किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त प्रयोजन हेतु करार विलेख निर्धारित प्रपत्र पर विभाग के स्थानीय प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व' के नामें डाला जायेगा।

4- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

भवदीया,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2015/क0नि0-4-1507(1)**/11-2015 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी, बदायूँ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 ।

5- भवन स्वामिनी श्रीमती कमला देवी नि0- ए-401, राजेन्द्रनगर, बरेली ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।